न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:– 12/126/2023 रजू दिनांक: 23.10.2023 रजि0 न0 2023/689

अपीलार्थी:–

श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री श्यामसुन्दर शर्मा, निवासी सी–109, रणजीत नगर, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 18.12.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 06.11.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/2162 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से विविध 11 बिन्दुओं पर (विविध उपबिन्दुओं सहित) अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के आलोक में अतिविस्तृत, श्रमसाध्य सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में कार्यालय अभिलेखानुसार उक्तानुसार बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। अपिलार्थी द्वारा आवेदन के बिन्दु सं0 5, 6, 8 व 9 में वर्णित पत्र वर्ष 1995, 1996 व वर्ष 1987 से संबंधित है जो कि 20 वर्ष से भी अधिक समय पुरानी होने कारण काफी तलाश किये जाने उपरांत भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। तथापि प्रयास जारी है, उपलब्ध होने पर अपीलार्थी को सूचित कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर को निर्देशित किया जाता है, की सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र का नियमानुसार वांछित सूचना/दस्तावेजात शीघ्र तलाश किये जाकर एवं अपीलार्थी को सूचित करते हुए नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, की यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
5. निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)